झारखंड सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

सत्र 2012–13 के लिए रेशम में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्स में प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु झारखण्ड राज्य के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों नगड़ी, रॉची तथा बरहमपुर (प0बंगाल) में नन मलवरी/मलवरी रेशम उत्पादन में स्वरोजगार के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में प्रशिक्षण हेतु चयन।

1.	प्रशिक्षण का माध्यम	अंग्रेजी लिखने पढ़ने एवं बोलने में पूर्णतः सक्षम हो, (वही आवेदन कर सकते हैं)
2.	शैक्षणिक योग्यता	जीव विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/रेशम/कृषि में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/इस विषयों में स्नातकोत्तर
3	आयु सीमा	सत्र प्रारम्भ करने की तिथि (01.07.2012)को अधिकतम 50 वर्ष एवं न्यूनतम 21 वर्ष
4	वांछनीय	रेशम उत्पादन(सेरिकलचर) की शाखा में अनुभव
5	प्रशिक्षण अवधि	3 माह के गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित 15 माह का प्रशिक्षण
6	प्रशिक्षु की संख्या	गैर मलवरी तसर रेशम प्रशिक्षण हेतु 16 सीट तथा मलवरी प्रशिक्षण हेतु 04 सीट अर्थात् कुल 20 सीटों के अन्तर्गत सीटों के लिए।
7	प्रशिक्षण स्थान	गैर मलवरी तसर रेशम में प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रॉची एवं मलवरी प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरहमपुर (प0बंगाल)
8	पाठ्यक्रम	प्रत्येक प्राठ्यक्रम के लिए 10,000/– (दस हजार) रूपये । यह शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में नामांकन के समय नन मलवरी प्रशिक्षण हेतु निदेशक, केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रॉची के पदनाम से रॉची में भुगतेय तथा मलवरी प्रशिक्षण हेतु निदेशक केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बरहमपुर(प0बंगाल) के पदनाम से बरहमपुर (प0बंगाल) में भुगतेय जमा करना होगा।
9	आवास एवं भोजन	संस्थान के हास्टल में 15/– (पन्द्रह) रूपये प्रति व्यक्ति /प्रति दिन / प्रति शैय्या के आधार पर आवास प्रदान किया जायेगा। भोजन का खर्च सभी के लिए वास्तविक खर्च पर आधारित होगा ।
10	बचन बद्धता (Under taking)	(क) चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण–पत्र के आधार पर वे केन्द्रीय रेशम बोर्ड/राज्य सरकार/राज्य रेशम बोर्ड अथवा अन्यथा से नौकरी का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे । (ख) चयनित उम्मींदवार निर्धारित सत्र का प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे। प्रशिक्षण बीच में छोड़ने पर सरकार एवं संस्थान से प्राप्त सहायता यथा छात्रवृति, पुस्तकों के कय हेतु सहायता, भाड़ा इत्यादि की राशि सरकार/संस्थान को लौटा देंगे।

नोटः– राज्य सरकार की ओर से सरकारी की स्वीकृति के पश्चात् दी जाने वाली सुविधा यथा छात्रवृति प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह रू0 1000/–(प्रशिक्षण अवधि में), अध्ययन भ्रमण में प्रति दिन का भत्ता प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन रू0 100/– अधिकतम 90 दिन, किताब आदि क्रय के लिए सहायता एक मुश्त प्रति प्रशिक्षणार्थी रू0 1000/– तथा प्रशिक्षण संस्थान तक एक बार जाने तथा अंतिम बार आने का द्वितीय श्रेणी का किराया की सहायता और राज्य सरकार के स्तर से कोर्स के लिए चयन एवं प्रशिक्षण हेतु नाम केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संबंधित संस्थानों में नामित किये जाने पर कोर्स फी में पचास प्रतिशत रियायत देने का प्रावधान है। इच्छुक आवेदक निम्नांकित आवेदन प्रपत्र में अपना आवेदन भरकर निदेशक, (रेशम) उद्योग निदेशालय, नेपाल हाउस, तीसरा तल्ला, डोरण्डा, रॉची के पते पर दिनांक 05.05.2012 के अपराहन 3.00 बजे तक जमा कर सकते हैं तथा दिनांक 07.05.2012 को प्रातः 10.30 बजे से सभी मूल कागजात के साथ साक्षात्कार हेतु निदेशक हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, रांची के कार्यालय नेपाल हाउस, तीसरा तल्ला, डोरण्डा, रॉची में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए अलग से सूचना नहीं दी जायेगी ।

Jd.seri- PGDS-2010.

सत्र 2012–13 के लिए रेशम में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में नामांकन हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदक का नाम :
2. पिता या पति का नाम :
3. स्थायी पता एवं अभिप्रमाणित आवासीय प्रमाण–पत्र :

4. पत्राचार का पता :

5. दूरभाष नंबर/मोबाईल नंबर :
6. जन्म तिथि– (मैट्रिक का उम्र संबंधी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति) :
7. जाति/ धर्म (आरक्षण लाभ के लिए जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति) :
8. शैक्षणिक योग्यता

कमांक	बोर्ड / विश्व विद्यालय का नाम	परीक्षा का नाम	विषय / उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत

9. अनुभव (यदि कोई हो)
10. प्रशिक्षण के लिए विषय का चयन { Tick करें }

(क) ननमलवरी (NM) ☐ (ख) मलवरी (Mulberry) ☐

11. (क) मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि उपर में दिए गए विवरण पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है ।

(ख) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद राज्य सरकार/ केन्द्रीय रेशम बोर्ड पर नौकरी का दवा नहीं करूँगा/ करूँगी ।

(ग) प्रशिक्षण हेतु चयन होने पर मैं निर्धारित सत्र का प्रशिक्षण पूर्ण करूंगा/करूंगी। प्रशिक्षण अपूर्ण छोड़ने पर मैं सरकार एवं संस्थान से प्राप्त छात्रवृति, पुस्तकों के कय हेतु सहायता, भाड़ा लौटा दूंगा/दूंगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

निदेशक 4/3/12

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प